समय– 03:40 बजे

टीप– आज दिनांक 04.01.2024 साक्षी निक्की थॉमस को पुनः शपथ दिलाकर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री संदीप थौरानी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

09. यह कहना सही है कि मैने जो परिवाद एवं शपथ पत्रीय कथन न्यायालय में प्रस्तुत किया है उनको पढ़कर सही होना पाकर अपने हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद में मेरी उम्र 40 वर्ष लिखी है तथा शपथ पत्रीय कथन में मेरी उम्र 36 वर्ष लिखी हुई है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में मेरा आधार कार्ड या अन्य कोई परिचय पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। यह कहना सही है कि प्र.पी.–06 में किसी भी पोस्ट ऑफिस का कोई सील मोहर नही है। यह कहना सही है कि प्र.पी.–06 में जो लेने से इंकार वापस की टीप डली है उस पर कोई दिनांक उल्लेखित नहीं है।

10. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं प्र.पी.–04 व 06 में आरोपी के निवास का मकान क्रमांक या कोई पास पड़ोस के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मै यह नही बता सकता कि ग्राम डुंडा सेजबहार में जितेन्द्र कुमार साहू नाम के कितने व्यक्ति होगें। यह कहना सही है कि प्र.पी.–04 की विधिक सूचना छायाप्रति में है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद शपथ पत्रीय कथन व प्र. पी.–04 की विधिक सूचना में इस बात का उल्लेख नहीं है कि आरोपी को कौन से वर्ष, माह या दिनांक को रकम दी गई है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद शपथ पत्रीय कथन व प्र.पी.–04 की विधिक सूचना में इस बात का उल्लेख नही है कि तथाकथित रकम कितने समय के लिए प्रदान की गई थी। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा आरोपी को कोई रकम प्रदान नही कि गई थी इस वजह से मेरे द्वारा रकम देने का वर्ष, माह व दिनांक का उल्लेख नही है और न ही कितने समय मे रकम वापस होनी थी का उल्लेख है।

11. मैं वर्ष 2014 से आयकर विवरणी जमा करता हूॅ। यह कहना सही है कि वर्ष में किये गये रकम संबंधी लेन–देन आयकर विभाग को दी जाती है इस बात की मुझे जानकारी है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में आयकर विवरणी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है और न ही रकम को आयकर विवरणी में दर्शाया हूॅ। स्वतः कहा कि मेरे द्वारा आपसी संबंध के आधार पर आरोपी को पैसे दिये थे। यह कहना सही है कि मेरे और आरोपी के मध्य इस रकम के अतिरिक्त और किसी रकम के

लेन–देन की जानकारी न्यायालय में नही दी गई है। स्वतः कहा हमारे बीच इस राशि के अतिरिक्त कोई रकम का लेन–देन नही हुआ है।

12. यह कहना सही है कि जब भी दो लोग कोई लेन–देन करते है तो उसकी लिखा पढ़ी या करार आपस में करते है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई लिखा–पढ़ी का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो ये दर्शाये कि हमारे बीच कोई लेन–देन हुआ है। यह कहना सही है कि प्र.पी.–01 के इ से इ भाग पर जो दिनांक का इंद्राज है वह मोटी स्याही से है व शेष इंद्राज पतली स्याही से है। यह कहना सही है कि प्र.पी.–04 की नोटिस में आरोपी द्वारा दिये गये चेक के विवरण में चेक दिनांक में काटछाट कर दिनांक अलग से लिखा गया है।

13. यह कहना सही है कि उक्त काटछाट वाले स्थान पर अधिवक्ता के लघु हस्ताक्षर नही है। मैने मेरे अधिवक्ता द्वारा लिखी जा रही विधिक सूचना को देखा था। यह कहना सही है कि प्र.पी.–04 के प्रथम पृष्ठ पर कहीं भी नोटिस भेजने वाले अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नोटिस की छायाप्रति बाद में काटछाट कर प्रस्तुत की गई है जबकि मूल नोटिस अलग थी। यह कहना गलत है कि प्र.पी.–03 में जिस व्याक्ति ने निक्की थामस लिखा है उसी के द्वारा प्र.पी.–01 में भी निक्की थामस लिखा है। यह कहना सही है कि प्र.पी.–03 में चेक के विवरण में चेक क्रमांक 33058532 मेरे द्वारा लिखा गया है। यह कहना सही है कि प्र.पी.–03 में चेक के विवरण में चेक किस बैंक, बैंक शाखा व दिनांक का है ऐसा कोई विवरण नही है। यह कहना सही है कि प्र.पी.–01 के चेक में चेक क्रमांक में 33 का कोई उल्लेख नही है। मैं यह नही बता सकता कि मेरे द्वारा प्र.पी.–03 में लिखे चेक क्रमांक का चेक किसी भी बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है।

14. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं शपथ पत्रीय कथन में मैने जो कंडिका 05 में विधिक सूचना मेरे अधिवक्ता को दिनांक 06.11.2028 को प्राप्त हो गया लिखा है व किस आधार पर लिखा है नही बता सकता न ही उस संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत किया है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद के समर्थन में पृथक से कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। स्वतः कहा कि धारा 145 का शपथपूर्वक बयान/शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

15. मैं वर्ष 2015 से 2017 तक जमीन से संबंधित व्यवसाय करता था। यह कहना सही है कि उन वर्षो में प्रतिमाह कोई निश्चित आय नही होती थी। मैं सी ए कन्हैया जी के कार्यालय फ्रुट मार्केट जाता था जहां आरोपी के पिता जी के द्वारा सी ए कन्हैया जी को कार्यालय किराये पर दिया था। आरोपी जितेन्द्र भी सी ए के कार्यालय में आता था तभी मुझे सी ए ने बताया था कि उसका कार्यालय आरोपी के पिता जी की संपत्ति है। आरोपी और मेरा सी ए के यहां जाने आने से परिचय हुआ था।

टीपः– इसी स्तर पर अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता द्वारा न्यायालयीन समय समाप्त होने से प्रति परीक्षण स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया। विचारोपरांत साक्षी का प्रतिरीक्षण आगामी तिथि के लिए स्थगित किया गया।

समय–4:50 बजे।

वाचित/सत्य स्वीकृत

सही/–

(स्वर्णा डेहरे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देशन में टंकित

सही/–

(स्वर्णा डेहरे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रायपुर (छ.ग.)

साक्षी का हस्ताक्षर.....

प्रमाण पत्र

मैं पुष्टि करती हूं कि इस पी.डी.एफ. फाईल की अंतर्वस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल आदेश/निर्णय/कथन में टंकित की गई है।

साक्ष्य लेखक का नामः– श्रीमती मीना साहू